भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1990

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

कोयला खदान श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

1990. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किए गए अध्ययन में कोयला खनिकों में खनन प्रदूषण के कारण श्वसन एवं त्वचा संबंधी बीमारियों सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोयला श्रमिकों के बीच इन स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो कोयला श्रमिकों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में रोज़गार की ओर ले जाने की किसी योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): कोयला क्षेत्र के पीएसयू कोयला खनन क्षेत्रों में बीमारियों के स्वरूप की निगरानी करने के लिए व्यापक और निरंतर स्वास्थ्य अध्ययन करते हैं, निगरानी कार्यक्रम चलाते हैं और महामारी विज्ञान के अनुसार आकलन करते हैं। श्वसन और त्वचा संबंधी विकारों सहित खनन जोखिम से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों का नियमित रूप से प्रारंभिक चिकित्सा जांच (आईएमई), आवधिक चिकित्सा जांच (पीएमई) और सांविधिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों वाले एक संरचित ढांचे के माध्यम से आकलन किया जाता है। संदिग्ध व्यावसायिक रोगों का मूल्यांकन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों में और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में कार्यरत व्यावसायिक रोग बोर्डों (ओडीबी) के माध्यम से किया जाता है।

समेकित मेडिकल रिकॉर्ड और ओडीबी मूल्यांकन के आधार पर, सीआईएल और एससीसीएल में पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यावसायिक श्वसन या त्वचा संबंधी रोगों के किसी भी पुष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है। तथापि, शीघ्र पता लगाने और समय पर कार्रवाई करने के लिए निरंतर निगरानी की जाती है।

एनएलसीआईएल खानें ओपन कास्ट खानें हैं और पूरी तरह से मशीनीकृत हैं। इस प्रकार, प्रत्यक्ष खनन गतिविधियों में किसी भी मैनुअल लेबर का उपयोग नहीं किया जाता है और इसलिए, उन्हें व्यावसायिक संबंधी बीमारी होने का न्यूनतम जोखिम है।

(ख) और (ग) : कोयला क्षेत्र के पीएसयू ने खनन कार्यकलापों से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए व्यापक निवारक और उपशमन उपाय किए हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) कोयला क्षेत्र के पीएसयू ने एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना विकसित की है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) देश में सबसे बड़े औद्योगिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क का संचालन करती है, जिसमें 64 अस्पताल, 300 डिस्पेंसरी, 69 व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र, 3,769 बिस्तर, 1,054 डॉक्टर, 939 नर्स, 2,301 पैरामेडिकल स्टाफ, 500 एम्बुलेंस और 19 मोबाइल मेडिकल वैन शामिल हैं, जिनकी सहायता 523 सूचीबद्ध सुपरस्पेशियलिटी अस्पतालों द्वारा की जाती हैं। ठेका श्रमिकों को शामिल करते हुए सभी चिकित्सा सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

एससीसीएल पैनल में शामिल सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों द्वारा सहायता प्राप्त 821 बिस्तरों के साथ 7 क्षेत्रीय अस्पतालों, 21 औषधालयों का संचालन करता है। ठेका श्रमिकों को शामिल करते हुए सभी चिकित्सा सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

एनएलसीआईएल के पास 350 बिस्तरों वाले अस्पताल द्वारा सहायता प्राप्त एक एकीकृत व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा मॉडल है, जो पल्मोनोलॉजी, त्वचाविज्ञान, मनोचिकित्सा, औद्योगिक स्वच्छता और चिकित्सा समाजशास्त्र सहित व्यापक नैदानिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।

(ii) सीआईएल और एससीसीएल की सभी सहायक कंपनियों में एक संरचित **व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा (ओएचएस)** ढांचा क्रियाशील है, जिसमें प्रशिक्षित व्यावसायिक स्वास्थ्य चिकित्सकों के नेतृत्व वाला समर्पित ओएचएस विंग शामिल हैं।

(iii) धूल से संबंधित श्वसन स्थितियों का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन के लिए पैनल में शामिल अस्पतालों के माध्यम से सीआईएल और एससीसीएल द्वारा **नियमित** ब्रोंको-पल्मोनरी चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं।

(iv) श्वासयंत्रों और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों के सही चयन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सीआईएल की सहायक कंपनियों और एससीसीएल में **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित किए जाते हैं।

इन उपायों का सामूहिक रूप से उद्देश्य कोयला खान श्रमिकों में खनन से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों की रोकथाम, इनका शीघ्र पता लगाना और प्रभावी प्रबंधन करना है। कोयला कामगारों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में रोजगार की ओर ले जाने की कोई योजना नहीं है।

*****